

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार योजनान्तर्गत भर्ती कैम्प-2019

नियुक्ति सूचना


राज्य के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय, गिरिडीह के तत्वावधान में श्रम कल्याण केन्द्र, अरगाघाट रोड, गिरिडीह में दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार योजनान्तर्गत भर्ती कैम्प-2019 को दिनांक 15.02.2019 को आयोजित किया जा रहा है।

नियुक्ति हेतु भर्ती कैम्प का आयोजन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा :-

S No	Name of Employer	Name of the post	No. of Vacancies	Qualification Required		Experience if any	Age (min-max)	Stipend	Date of Bharti Camps
				Essential	Desirable				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DAIMLER (Chennai) (Makers of Mercedese Cars/Bus)	18 Months Company Apprenticeship	200	12 <sup>th</sup> pass only (ITI, & Graduate Candidates not Applicable)	-	-	18-25 Yrs	Rs 13500/ for First 12 Months Rs 13800/ for Next 6 Month + health Policy Wroth Rs 1 lac First 3weeks Free lodging Facility at Company's Guest house . 5days/Week working @9hrs/day	15-02-2019 (Friday) (09:AM)

भर्ती कैम्प में भाग लेने वाले नियोजकों एवं प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी से संबंधित सूचना झारखण्ड सरकार के वेबसाइट— [www.jharkhandrojgar.nic.in](http://www.jharkhandrojgar.nic.in) एवं [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) पर उपलब्ध है।

भर्ती कैम्प में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को झारखण्ड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। यदि वे पूर्व में निबंधित न हों तो भर्ती कैम्प से पूर्व अपना निबंधन अपने स्थानीय नियोजनालय में निश्चित रूप से करा लें सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ मूल एवं फोटोकॉपी के साथ भर्ती कैम्प में उपस्थित होने का कष्ट करें :- शैक्षणिक अर्हता, फोटो ID Proof (Aadhar card/Voter card/Pan card/DL etc), आधार कार्ड, नियोजनालय निबंधन कार्ड एवं 06 फोटो। साथ ही निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 09:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए रिक्ति की शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी हैं, विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। भर्ती कैम्प में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

  
जिला नियोजन पदाधिकारी,  
गिरिडीह।